रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244621
CG-DL-E-23032023-244621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1338] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
No. 1338] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1391(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता, टेलीफोन / सम्पर्क नम्बर और ई-मेल आई.डी. भी लिखें, जो पठनीय हो।

संशोधन

क्रम संख्या	मौजूदा प्रावधान- दि.मु.यो. 2021	प्रस्तावित संशोधन- दि.मु.यो. 2021
1.	**पैरा 4.2 आवासीय नीति**	
	सार्वजनिक एजेंसियों, सोसाइटी अथवा निजी विकासकर्ताओं द्वारा उपयोग लिए जाने वाले नए	सार्वजनिक एजेंसियों, सोसाइटी अथवा निजी विकासकर्ताओं द्वारा उपयोग लिए जाने वाले नए क्षेत्र में आवासों के विकास अथवा निर्मित क्षेत्र में मौजूदा आवास स्टॉक पर पुनर्विकास के लिए सघनता की ऊपरी सीमा 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) होगी। इसमें आवासीय इकाइयों का आकार अनुनेय होगा ताकि भूमि का

	क्षेत्र में आवासों के विकास अथवा निर्मित क्षेत्र में मौजूदा आवास स्टॉक पर पुनर्विकास के लिए सघनता की ऊपरी सीमा 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) होगी। इसमें आवासीय इकाइयों का आकार अनुनेय होगा ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सके। स्लम और जे जे क्लस्टरों (स्वस्थाने उन्नयन/ पुनर्वास/ स्लम एवं जे जे क्लस्टरों, पुनर्वास कॉलोनियों के पुनर्विकास) और ई.डब्ल्यू.एस सार्वजनिक आवासीय योजनाओं के लिए सघनता अधिकतम 900 डीयू/हेक्टेयर होगी।	अधिकतम उपयोग किया जा सके।
2.	**पैरा 4.4.3 'बी' रिहाइशी प्लॉट- समूह आवास**	
	सघनता की ऊपरी सीमा 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) होगी। इसमें आवासीय इकाइयों का आकार अनुनेय होगा ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सके। स्लम और जे जे क्लस्टरों (स्वस्थाने उन्नयन/ पुनर्वास/ स्लम एवं जे जे क्लस्टरों, पुनर्वास कॉलोनियों के पुनर्विकास) और ई.डब्ल्यू.एस सार्वजनिक आवासीय योजनाओं के लिए सघनता अधिकतम 900 डीयू/हेक्टेयर होगी।	सघनता की ऊपरी सीमा 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) होगी। इसमें आवासीय इकाइयों का आकार अनुनेय होगा ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
3.	**पैरा 4.2.3.4**	
	हटा दिया गया है।	**4.2.3.4 स्लम एवं जे जे क्लस्टर** (i) भवनों की खराब स्थिति और अपर्याप्त पहुँच, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना स्लम और जे जे क्लस्टरों की विशेषताएं होती हैं जिसके कारण इनमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दिल्ली को 'स्लम मुक्त' बनाने के लिए स्लमों और जे जे क्लस्टरों का पर्यावरणीय उन्नयन और पुनर्वास अनिवार्य है ताकि इन आवासों में रहने वाले निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। (ii) दिल्ली में स्लमों/जे जे क्लस्टरों के माप, सघनता, आकार एवं अन्य विशेषताओं के अनुरूप स्लमों/जे जे क्लस्टरों के पुनर्वास/ पुनरूद्धार के लिए

एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। पूरे शहर में स्लम सुधार नीति में त्रिस्तरीय प्रस्ताव होगा:

(क) स्वस्थाने स्लम पुनर्वास (आईएसआर) योजनाएं

(ख) पुन: अवस्थापन

(ग) स्वस्थाने उन्नयन/ क्षेत्र में सुधार

(iii) मनोरंजनात्मक भूमि उपयोग, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील स्थलों जैसे रिज, वनों, जैव- वैविध्य पार्कों, यमुना के बाढ़ के मैदानों, जलाशयों, नालों और वाटर चैनलों, विशेष सार्वजनिक परियोजनाओं एवं सड़कों पर मौजूद स्लम एवं जे जे क्लस्टर स्वस्थाने पुनर्वास के लिए मार्गाधिकार योग्य नहीं होंगे तथा ये मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएंगे। ऐसे मामलों में, पुन: अवस्थिति द्वारा पुनर्वास अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) आई एस आर के लिए पात्र/समर्थनीय स्लमों और उनके लाभार्थियों की पहचान करने के लिए दिल्ली स्लम एवं जे जे पुनर्वास और पुन:अवस्थापन नीति 2015 (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) अपनाई जाएगी।

पैरा 4.2.3.4.1 स्वास्थाने स्लम पुनर्वास योजना (आईएसआर)

अंतर्निहित भूमि की सभी पात्र स्लमों, चाहे उनका भूमि उपयोग कुछ भी हो (मनोरंजनात्मक को छोड़कर), का पीपीपी आधार पर स्वस्थाने पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। निम्नलिखित विकास नियंत्रक मानक भौतिक एवं वित्तीय व्यावहारिकता की शर्तों के अधीन लागू होंगे:

परिसर का उपयोग	**प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)**	**अधिकतम तल कवरेज**	**अधिकतम एफएआर**	**न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर)**	**ऊंचाई (मीटर)**
स्वस्थाने स्लम पुनर्वास (आईएसआर)	2000	एनआर	400	9	एनआर
एनआर: कोई सीमा नहीं, सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त के अधीन					

सामान्य नियंत्रक:

i) आईएसआर योजना में पुनर्वास के साथ-साथ लाभकारी घटकों दोनों पर 400 एफएआर लागू होगा।

ii) कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पुनर्वास घटक के लिए तथा अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल लाभकारी घटक के लिए होगा।

iii) आईएसआर प्लॉटों के आकार के लिए न्यूनतम सेटबैक निम्नानुसार होगा:

प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	**सेटबैक**			
	आगे	**पीछे**	**साइड-1**	**साइड-2**
2000-10000	9	6	6	6
10000 से ऊपर	15	12	12	12

निर्धारित न्यूनतम सेटबैक अग्निसुरक्षा की आवश्यकता की शर्त के अधीन अलग-अलग हो सकता है।

iv) यदि लाभकारी घटक का उपयोग रिहाइशी उपयोग के लिए किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विकासकर्ता को ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए एफएआर का 15 प्रतिशत उपलब्ध कराने (जैसा कि समूह आवास के मामले में अनिवार्य है) से छूट होगी।

v) आईएसआर योजना में पुनर्वास और लाभकारी घटक दोनों के लिए सघनता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

vi) एक समग्र व्यापक योजना को कार्यान्वित करने के लिए आस-पास के स्लम स्थलों (5 किमी. के अंदर, प्रमुखत: उसी विधानसभा क्षेत्र में और उसी नगर वार्ड में हो भी सकते है अथवा नहीं भी) के फैले हुए अवैध निवासियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

स्लम स्थलों को शामिल करने के पश्चात न्यूनतम पुनर्वास घटक कुल भूमि का 50 प्रतिशत होगा और अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल लाभकारी उपयोग के लिए होगा।

स्लमों के प्लॉट का आकार 2000 वर्ग मीटर से कम होने की स्थिति में और आस-पास के क्षेत्र में आईएसआर योजना व्यावहारिक नहीं होने के कारण शामिल होने से रह गए प्लॉटों के मामले में उनको पुन:अवस्थित करने पर विचार किया जा सकता है। पुन: अवस्थापना के पश्चात ऐसे खाली स्थल आईएसआर के लाभकारी घटक के अनुसार विकास नियंत्रक मानकों के भी पात्र होंगे।

vii) आईएसआर योजनाओं पर टीओडी नीति के मानक लागू नहीं होंगे।

viii) उपयोगों के वर्टिकल मिक्सिंग (स्टैकिंग) की अनुमति होगी।

क. पुनर्वास घटक के अन्य मानक

i) पुनर्वास घटक के आवासीय इकाई का न्यूनतम कार्पेट क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। कार्पेट क्षेत्रफल की परिभाषा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार होगी।

ii) पुनर्वास घटक के लिए एफएआर क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्गमीटर के लिए 0.5 ईसीएस पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी।

iii) पुनर्वास घटक में निर्मित क्षेत्र के रूप में और कम किए गए स्थान मानक के अनुसार सुविधाओं की अनुमति होगी। सुविधाओं के अंतर्गत यह क्षेत्र एफएआर में नहीं माना जाएगा। उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का उपयोग पीएसपी और छोटी दुकानें जैसे बहुद्देशीय समाज सदन, बस्ती विकास केन्द्र, हेल्थकेयर सेन्टर, क्रैच/डे केयर सेन्टर, प्राथमिक विद्यालय (5000 की जनसंख्या पर) एवं वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10000 की जनसंख्या पर) के लिए किया जाएगा।

iv) तथापि, ये सुविधाएं उस विशेष आईएसआर योजना की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, योजना में प्राथमिक/वरिष्ठ उच्चतर विद्यालय/हेल्थकेयर सेंटर के लिए स्थान पर तभी विचार किया जाएगा जब किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा आस-पास के क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हो। सुविधाओं के लिए निम्नलिखित निर्मित क्षेत्र आवश्यक होगा:

सुविधाएं (पीएसपी और छोटी दुकानें)	**क्षेत्रफल (अनुमेय एफएआर को छोड़कर)**
बहुद्देशीय समाज सदन	100 वर्ग मीटर
बस्ती विकास केंद्र	100 वर्ग मीटर

हेल्थ केयर सेंटर	100 वर्ग मीटर
क्रैच/डे केयर सेंटर	100 वर्ग मीटर
प्राथमिक विद्यालय **(5000 की जनसंख्या पर)**	800 वर्ग मीटर
वरिष्ठ उच्चतर विद्यालय **(10000 की जनसंख्या पर)**	2000 वर्ग मीटर
छोटी दुकानें (दूध के लिए बूथ, उचित मूल्य की दुकान इत्यादि)	20 वर्ग मीटर (प्रत्येक दुकान के लिए अधिकतम क्षेत्रफल)

v) ये सुविधाएं वर्टिकल मिक्सिंग के रूप में वरीयत: भूतल और (यदि आवश्यक हो तो) प्रथम मंजिल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन सुविधाओं को ले-आउट प्लान में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

ख . लाभकारी घटक के अनुमेय उपयोगों हेतु मानक

i) लाभकारी घटक के एफएआर का उपयोग मिश्रित उपयोगों/किसी भी उपयोग (पीएसपी, व्यावसायिक, रिहाइशी) के लिए किया जा सकता है। यह निर्धारित न्यूनतम पहुँच मानदण्ड को पूरा करने की शर्त के अधीन होगा। यदि विकासकर्ता इकाई मिश्रित उपयोग का प्रस्ताव करता है तो ऐसे विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए गए एफएआर पर यथानुपात के अनुसार पार्किंग एवं अन्य विकास नियत्रंक मानक लागू होंगे।

क्रम सं.	**आईएसआर योजना के प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)**	**मार्गाधिकार**	**अनुमेय उपयोग**
1.	2000-4000 वर्ग मीटर	9 मीटर	एलएससी में यथा अनुमत व्यावसायिक गतिविधियां, सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोग और रिहाइशी उपयोग
2.	4000 वर्ग मीटर से अधिक	8 मीटर और अधिक	सीसी में यथा अनुमत व्यावसायिक गतिविधियां, सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोग और रिहाइशी उपयोग

ii) लाभकारी घटक के लिए पार्किंग परिवर्तनीय पार्किंग मानकों के अनुसार उपयोग के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।

4.2.3.4.2 पुन: अवस्थापना

उन स्लम/ जे जे क्लस्टरों के मामले में जहाँ अंतर्निहित स्थल आईएसआर के लिए भौतिक रूप से और वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं है, वहाँ के

		निवासियों को उपलब्ध खाली ईडब्ल्यूएस आवास स्टॉक पर पुन: अवस्थापना के लिए अथवा उनको अन्य आईएसआर योजना के साथ मिलाने की संभावना तलाश की जा सकती है। **4.2.3.4.3 स्वस्थाने उन्नयन/क्षेत्र का विकास** आधारभूत नगरीय सेवाओं के प्रावधान और इन क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य एवं दुर्घटनारोधी बनाने के लिए स्वस्थाने उन्नयन/क्षेत्र का विकास मानक अपनाए जाएंगे।

प्रारूप नीति का पाठ संदर्भ हेतु उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्यदिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023 पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. पीएलजी/एमपी/0005/2020/एफ-3]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1391(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government has proposed to make to the Master Plan-2021 under Section 11-A of DD Act 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/ suggestions with respect to the proposed modifications may send the same in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 **or** via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of Forty Five (45) days from the date of issue of this Public Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address, telephone / contact number and e-mail ID which should be readable.

MODIFICATIONS

S. No.	Existing provisions- MPD 2021	Proposed Amendments- MPD 2021
1.	**PARA 4.2 HOUSING STRATEGY**	
	As the development of housing in new area or redevelopment of existing housing stock in built up area to be taken by the Public Agencies, Society or private developers the upper limit of density be taken as 200 DUs/ha.(900pph) with flexible Dwelling Unit sizes to achieve optimal utilization of land. **The density for Slum & JJ clusters (In-situ up-gradation/ Rehabilitation/ Redevelopment of Slum & JJ Clusters, Resettlement Colonies) and EWS**	As the development of housing in new area or redevelopment of existing housing stock in built up area to be taken by the Public Agencies, Society or private developers the upper limit of density be taken as 200 DUs/ha.(900pph) with flexible Dwelling Unit sizes to achieve optimal utilization of land.

	Public Housing Schemes be maximum 900 DUs/ ha.	
2.	**PARA 4.4.3 'B' RESIDENTIAL PLOT – GROUP HOUSING**	
	The upper limit of density be taken as 200 DUs/ha.(900pph) with flexible Dwelling Unit sizes to achieve optimal utilization of land. **The density for Slum & JJ clusters (In-situ up-gradation/ Rehabilitation/ Redevelopment of Slum & JJ Clusters Resettlement Colonies) and EWS Public Housing Schemes be maximum 900 DUs/ ha.**	The upper limit of density be taken as 200 DUs/ha.(900pph) with flexible Dwelling Unit sizes to achieve optimal utilization of land.
3.	**Para 4.2.3.4**	
	Deleted	**4.2.3.4 Slum and JJ Clusters** (i) Slum/ JJ clusters are characterized by poor condition of buildings, and inadequate accessibility, physical and social infrastructure, making them vulnerable to disasters. In order to make Delhi 'slum free', it is imperative to undertake environmental up- gradation and rehabilitation of slums/ JJ Clusters to improve quality of life for the inhabitants of these settlements. (ii) A comprehensive approach shall be adopted for rehabilitation/ regeneration of slums/ JJ clusters responding to the scale, density, shape and other attributes of slums/ JJ clusters in Delhi. The city-wide slum improvement strategy shall have a three-fold approach: (a) In-situ Slum Rehabilitation (ISR) Schemes (b) Relocation (c) In-situ Upgradation/ Area improvement (iii) Slum and JJ clusters existing on Recreational landuse, ecologically sensitive sites such as ridge, forests, biodiversity parks, Yamuna Flood Plain, water bodies, drains & water channels, specific Public projects and Road RoW shall not be eligible for In-situ Rehabilitation and be cleared on priority. In such cases, rehabilitation by relocation shall not be mandatory. (iv) The Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy 2015 (as modified from time to time by DUSIB, GNCTD) shall be adopted for identifying eligible/tenable slums for ISR and beneficiaries therein. **4.2.3.4.1** In-situ Slum Rehabilitation Scheme (ISR) In-situ rehabilitation shall be undertaken for all eligible slums irrespective of the landuse (except Recreational) of the underlying land on PPP basis. The following development control norms shall apply subject to other conditions of physical and financial feasibility:

Use Premise	Min. Plot Area (sq.m)	Max. Ground Coverage	Max. FAR	Min. ROW (m)	Height (m)
In-situ Slum Rehabilitation (ISR)	2000	NR	400	9	NR
NR: No Restriction, subject to clearance from statutory bodies.					

General controls:

i) The FAR of 400 shall be applicable on both the rehabilitation as well as remunerative components in the ISR Scheme.

ii) The minimum area for Rehabilitation component shall be 50% of the total area and maximum area for remunerative component shall be 50%.

iii) The minimum setbacks for the ISR plot sizes shall be as follows:

Plot Size (sqm)	Setbacks			
	Front	Rear	Side 1	Side 2
2000 – 10000	9	6	6	6
Above 10000	15	12	12	12

The minimum prescribed setbacks may vary subject to fire safety requirement.

iv) The developer shall be exempted from providing 15% of the FAR for EWS housing (as mandated in case of Group Housing) in case the remunerative component is utilized for Residential use.

v) There shall be no restriction on the density for both rehabilitation and remunerative component under ISR scheme.

vi) Clubbing of scattered squatters with JJ sites in the neighbourhood (within 5 km, preferably within the same Assembly constituency and may or may not be in the same municipal ward) may be done to work out an overall comprehensive scheme.

The minimum Rehabilitation component of the total land after clubbing of slum sites shall be 50% and maximum area for remunerative use shall be 50%.

In case of slums having plot size less than 2000 sqm and are left out of clubbing due to lack of feasibility of ISR scheme in the vicinity, the same may be considered for relocation. Such vacant sites after relocation shall also be eligible for Development Control norms as per the Remunerative component of the ISR.

vii) The norms of TOD Policy shall not be applicable on the ISR Schemes.

viii) Vertical mixing (stacking) of the uses shall be permitted.

A. Other Norms for Rehabilitation Component

i) Carpet area of dwelling unit on Rehabilitation component shall be minimum 25 sqm. The definition of Carpet Area shall be as per the RERA Act 2016.

ii) Parking at 0.5 ECS per 100 sqm of FAR area shall be provided for the rehabilitation component.

iii) Amenities in the form of built-up area and as per the reduced space standard shall be allowed on the rehabilitation component. This area under amenities shall not be counted in the FAR. The amenities provided shall be used for

creating PSP and small shops such as Multipurpose Community hall, Basti Vikas Kendra, Health Care Centre, Creche/ Day Care Center, Primary school (for 5000 population) and Sr. Secondary School (for 10000 population).

iv) However, these amenities shall be provided as per the requirement arising out of the specific ISR scheme. Further, the area for Primary/ Sr. Secondary School/Healthcare Center shall be considered in the scheme only if there is no such facility provided in the nearby vicinity by any other Government agency. The built-up area requirements for amenities may be as follows:

Amenities (PSP and small shops)	**Area (Exclusive of Permissible FAR)**
Multipurpose Community hall	100 sqm
Basti Vikas Kendra,	100 sqm
Health Care Centre,	100 sqm
Creche/ Day Care Centre	100 sqm
Primary school **(For 5000 Population)**	800 sqm
Sr. Secondary school **(For 10000 Population)**	2000 sqm
Small shops (Milk Booth, Fair price shop etc.)	20 sqm (max. area per shop)

v) These amenities may be provided preferably on Ground floor and first floor (if required) in the form of Vertical mixing. These amenities shall be clearly indicated in the Layout Plan.

B. Norms for Permissible Uses on Remunerative Component

i) The FAR on the remunerative component can be utilized for mix of uses/ any use (PSP, Commercial, Residential) subject to meeting minimum prescribed accessibility criteria. In case the developer entity proposes mix of uses, the parking and other development control norms will be applicable on pro-rata basis, on the FAR utilized for the particular use.

S.No.	**Plot Area of ISR Scheme (sqm)**	**RoW**	**Permissible uses**
1.	2000 – 4000 sqm	9m	Commercial activities as permitted in LSC, all Public and Semi- Public (PSP) uses and Residential use.
2.	Above 4000 sqm	18 m and above	Commercial activities as permitted in CC, all Public and Semi- Public (PSP) uses and Residential use.

ii) The parking for the Remunerative component shall be provided according to use, as per the dynamic parking norms.

4.2.3.4.2 Relocation

In case of Slums/JJ Clusters, where the underlying site is physically or financially unviable for ISR, relocation of residents to available vacant EWS housing stock or clubbing with other ISR Scheme may also be explored.

4.2.3.4.3 In-situ Upgradation/ Area improvement

In-situ upgradation/ area improvement measures shall be adopted for provision of basic urban services and to make these areas more liveable and resilient to disasters.

The text of draft policy shall also be available for reference at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023.

[F. No. PLG/MP/0005/2020/F-3]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.23 17:27:57 +05'30'